आदेश

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम–19 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत, मैं संजय आर. भूसरेड्डी, आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश समस्त गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्तों, जिला गन्ना अधिकारियों एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों को उनसे सम्बन्धित क्षेत्रीय उप चीनी आयुक्त, संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में पदेन निरीक्षक के अधिकारों को पेराई सत्र 2019–20 में प्रयोग किये जाने की अनुमति प्रदान करता हूँ। उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम–29 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त पेराई सत्र हेतु निम्नांकित व्यक्तियों को उनके कार्य क्षेत्र में चीनी मिलों द्वारा संचालित गन्ना क्रय केन्द्रों पर की जा रही तौल, काँटों तथा बाँटों की जाँच करने एवं पर्चियों, जिनमें गन्ने का वजन, मूल्य अंकित किया जाता है, का परीक्षण करने का अधिकार प्रदान करता हूँ:–

1. समस्त लोक सभा सदस्य, उ.प्र.।
2. समस्त राज्य सभा सदस्य, उ.प्र.।
3. समस्त विधान सभा सदस्य, उ.प्र.।
4. समस्त विधान परिषद सदस्य, उ.प्र.
5. समस्त अध्यक्ष सहकारी गन्ना विकास समितियॉ एवं उपाध्यक्ष, सहकारी चीनी मिल समितियॉ, उ.प्र।
6. समस्त अध्यक्ष, गन्ना विकास परिषदें उत्तर प्रदेश परन्तु इस कार्यालय के आदेश संख्या 05/सी दिनांक 12.04.2018 के क्रम में श्री रविन्द्र अहलावत, अध्यक्ष गन्ना विकास परिषद दौराला, जिला मेरठ पर यह अधिकार प्रतिबन्धित रहेगा।
7. समस्त सचिव/विशेष सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियॉ, उ.प्र.।
8. गन्ना विकास निरीक्षक, सहकारी गन्ना विकास समितियॉ, उ.प्र.।
9. समस्त बीज उत्पादन अधिकारी, उ.प्र.।
10. समस्त खाण्डसारी अधिकारी, उ.प्र.।
11. समस्त खाण्डसारी निरीक्षक, उ.प्र.।
12. समस्त सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी, उ.प्र.।
13. समस्त अपर सॉख्यिकीय अधिकारी, उ.प्र.।
14. समस्त सॉख्यिकीय अधिकारी, उ.प्र.।
15. समस्त राजपत्रित अधिकारी, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, मुख्यालय।
16. मुख्य गन्ना विकास सलाहकार, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
17. मुख्य गन्ना सलाहकार, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि., लखनऊ।
18. प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ।
19. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश चीनी निगम लि. लखनऊ।
20. अध्यक्ष उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि. लखनऊ।
21. उपाध्यक्ष उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि. लखनऊ।
22. समस्त संचालकगण उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि. लखनऊ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मा. जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि गन्ना क्रय केन्द्रों के निरीक्षण हेतु अपने साथ विभागीय अधिकारी को अवश्य रखें जिससे उन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध रहे तथा निरीक्षण में पायी गयी विसंगतियों पर तत्काल विधिक कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकें।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.।

कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश
17–न्यू बेरी रोड, डालीबाग,लखनऊ।

पत्र संख्याः– 211/ऑम्प/सं.ची.आ./आई.टी./लखनऊ दिनांक 14 नबम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. गन्ना मंत्री/गन्ना राज्य मन्त्री उ.प्र. को मा. मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. समस्त मा. जनप्रतिनिधि।
3. समस्त पदाधिकारी।
4. समस्त संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त एवं उप चीनी आयुक्तों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनप्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें विभागीय अधिकारी/निरीक्षक तत्काल उपलब्ध करायें।
5. समस्त उप गन्ना आयुक्त/उप चीनी आयुक्तों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त की प्रति समस्त जनप्रतिनिधियों/पदाधिकारियों को अपने स्तर से प्राप्त कराना सुनिश्चित करें तथा उसकी सूचना मुख्यालय पर भेजे।
6. मुख्य गन्ना सलाहकार, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ लि. लखनऊ।
7. मुख्य गन्ना विकास सलाहकार, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ एवं उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
9. समस्त राजपत्रित अधिकारी, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, मुख्यालय।
10. समस्त म०डलायुक्त/जिलाधिकारी (गन्ना उत्पादक जनपद उ.प्र.)

14/11/19

(राकेश कुमार मिश्र)
अपर चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।